

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर
पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस.

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोंडेण्टस

बाबुलाल पुत्र तारारामजी, जाति
पुरोहित, निवासी जेतपुरा, हाल
बडगांव, तहसील रानीवाडा,
जिला जालोर.

राजस्थान सरकार जंशिये भूमिधारी
तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील

33/2019

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एन.आर.एक्ट अपील विरुद्ध
निर्णय दिनांक 11.09.2019 न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा धारा 91 आर.एल.
आर.एक्ट, प्रकरण संख्या 03/2019 बाबुलाल बनाम सरकार

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
- 2-तहसीलदार रानीवाडा रेस्पोंडेण्ट
- 3-श्री छोटूसिंह अभिभाषक राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक:- 06.01.2020

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर वार जांच दर्ज
रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेण्टस को जरिये अम्न सूचि किया गया।
अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकॉर्ड तलब किया गया। प्रकरण में
बहस सुनी गई। संक्षिप्त में इस प्रकार है कि:

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलप्रस्तुत भूमि के बारे
में बडगांव के पूर्व जागीरदार मंगलसिंह पुत्र मानमसिंह राजपुत्र के जागीर
कमीशनर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में नियमानुसार कृषि भूमि एवं आवासी
भूमि जो उसने अपनी निजी सम्पत्ति माना थी उसका विस्तृत विवरण सूची में
पेश किया था। जिसके अनुसार सूची संख्या एक कृषि भूमि का उल्लेख किया।
जिसका इस अपील में कोई विवाद नहीं है। सूची-बी-मका-आवासी भूमि
आदि का विवरण अंकित है इसमें क्रम संख्या 4 में उल्लेखित भूमि को
अपीलप्रस्तुत भूमि है जिसके अनुसार चक्की वाला मकान व उसके आगे-पिछ
पडी खुली जमीन शामिल है। जागीर कमीशनर ने जालोर के डिप्टी कलेक्टर
(जागीर) से जांच करवाई गई उन्होंने बाद जांच अपनी जांच रिपोर्ट पुनः
कमीशनर के न्यायालय में पेश की है। उसमें सूची-बी के क्रम संख्या 4 में
भूमि के पडौस अंकित किये हैं उसी भूमि पर कोई उजरदारी संपत्त नहीं होने
से पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति माना है जिसका निर्णय आयुक्त (जागीर)
ने दिनांक 19/01/1963 को किया, उस निर्णय के विरुद्ध भूमिधारी तहसीलदार
ने अपील नहीं की है इसलिये वह निर्णय अंतिम हो चुका है। इस निर्णय को
पालना में भूमिधारी स्वयं को रेकॉर्ड दुरस्ता कर खसरा नम्बर 1991 में ओगण
की बजाय गै.मु. आवादी दर्ज करनी चाहिये थी क्योंकि रेवेन्यू रेकॉर्ड को
अपडेट रखने का प्रथम व पूर्ण दायित्व तहसीलदार का ही है। इसी जागीरदार
से नियमानुसार पंजीकृत बैचान दस्तावेज के जरिये अपीलान्ट को आवासी भूमि
खरीद की है जिसका नियमानुसार पंजीयन भी भूमिधारी तत्काल तहसीलदार
भीनमाल ने ही किया है वही तहसीलदार इसी भूमि को ओगण की मानकर

बेदखली व जुमनि का आदेश किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निम्न आधारों पर यह अपील पेश की जा रही है :-पटवार हल्का बडगांव की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध प्रथम बार स्वतंत्र 2068 में बडगांव के खसरा नम्बर 791 में से 71.49 वर्गमीटर पर नया अतिक्रमण मानते हुये प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा में दर्ज हुआ जिसे बाद में अपीलाधीन निर्णय के जरिये बेदखली व 50/- रूपये का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय इसी पत्रावली में उपलब्ध ऑर्डर शीट दिनांक 26/03/2019 के अतिक्रमण के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है इसमें यह स्पष्ट नेका का क्रय है कि "कब्जाधारी जागीर कमीशनर के निर्णय दिनांक 19/01/1963 में उल्लेखित भूमि पर ही काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के विरुद्ध प्रकरण ड्रॉप योग्य बनता है। तहसीलदार रानीवाडा ने ही अपनी अवेरिफाई दिनांक 26/03/2019 में राजस्व कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के कारियों की संयुक्त टीम ने मौका जांच की, जागीर कमीशनर का निर्णय, डिप्टी कलेक्टर जागीर (जागीर) का अवलोकन किया, निर्णय में सूची बी में मकानात व आबादी भूमि को गहनता से जांच की, इसके बाद टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25/03/2019 में अंकित तथ्यों के विपरित निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमिधारी द्वारा पूर्व में पारित टीम द्वारा दिनांक 14/02/2019 को मौका देखा, कमीशनर साइब के निर्णय की सूची बी में क्रम संख्या 4 पर चक्की के मकान व उसके आगे पिछे आबादी भूमि की मौका पर जांच की, उस वक्त चक्की व मकान गाये लिखे जागीरदार प्रस्तुत निजी सम्पति की सूची 1958-59 में पेश की। जिसका निर्णय 1963 में हुआ है, उस समय चक्की व मकानात खुली जमीन मौजूद थी जिसके चारों तरफ पुरानी काटो की बाड थी जिस पर पूर्व जागीरदार का कब्जा था। अब चक्की व मकान नहीं मिले, लेकिन मौतबिरान ने चक्की व मकान वाला भूमि निशानदेही से बताया गई, उसका उल्लेख 14/02/2019 की रिपोर्ट में है। उम रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 791 जिसके चारों तरफ पुरानी बाड जागीरदार की थी उसमें अब दुकाने आवासीय मकानात व जागीरदार की निजी भूमि के पडौस बताये है वह भूमि खसरा नम्बर 791 में है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी को अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 आर.एन.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप करने की बजाय बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया है, जो निरस्त योग्य है। पूर्व जागीरदार ने निजी सम्पति की सूची बी में क्रम संख्या 4 में दर्ज भूमि के अन्दर कुल 22 भूखण्ड बनाये, जिसमें से अपीलान्त ने 11 गुणा 40 दुकान प्लस 10 फीट रास्ता प्लस 20 फीट गोदाम कुल 31 गुणा 70 फीट जरिये रजिस्टर्ड बैचान के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। पक्का निर्माण किया, विधुत, पानी, टेलीफोन कनेक्शन लिया। इसके बाद अपीलान्त ने ग्राम पंचायत से पट्टे भी प्राप्त किये, ग्राम पंचायत ने बाद में जांच आबादी मानते हुये पट्टे जारी किये। तहसीलदार भूमिधारी ने बैचाननाम पडौस किया, उसने भी इसी भूमि को आबादी भूमि मानते हुये पंजीयन किया है इसलिए रूल ऑफ एस्टापल्ल" के सिद्धान्त के आधार पर भूमिधारी आबादी भूमि को ओरण मानने से विवंधित है। इस सिद्धान्त के आधार पर अपीलान्त की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। पूर्व में यह प्रकरण राजस्व मण्डल अंतर्गत तक चला था मण्डल के निर्णय दिनांक 31/08/2018 में इसी भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण न मानते हुये बेदखली व जुर्माने का आदेश निरस्त किया है इस आधार पर अपील स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन निर्णय 11/09/2019 को दिया जाना बताया जा रहा है। जो गैर मायका व उनके अधिवक्ता पर से गैर हाजिरा में दिया गया। जो निर्णय से स्पष्ट है निर्णय में तो अधिवक्ता की अवस्थिति

दर्ज है न गैर सायल की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज है। जवाब गैर सायल के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया, उसका भी निर्णय में हवाला नहीं दिया। जवाब के साथ कुल 10 दस्तावेज पेश किये, उसका भी उल्लेख नहीं किया। यह निर्णय आदेश 20 सीपीसी के प्रावधानों के भा प्रतिकूल है। निर्णय का प्रथम बार जानकारी दिनांक 23/09/2019 को हुई। उसी दिन नकल मांगी व उसी दिन मिली। उसके बाद अन्य नकल व राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त करने में समय लगा इस प्रकार तारीख जानकारी से यह अपील दिनांक 21/10/2019 को पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद है सुविधा की दृष्टि से धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश है। जिसमें डिले कन्डोन हेतु पर्याप्त कारण बताया है। डिले कन्डोन किया जाकर न्यायादित में अपील अन्दर म्याद शुमार दर्ज किये जाने योग्य है। राजस्थान टिनेसी एक्ट 1955 से प्रभाव में आया है इससे पूर्व सभी प्रकार की कृषि भूमि व आवासीय भूमि उनके जागीरी की थी जागीरदार खुद काश्त की भूमि ओरण के लिये छोड़ सकते थे तथा ओरण के लिये छोड़ी गई भूमि पर आवादी भी बना सकते थे तथा कृषि उपयोग में ले सकते थे क्योंकि जागीरदार सक्षम थे जब प्रथम सेटलमेन्ट का पैमाईश कार्य आरम्भ हुआ तब अपीलग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी सम्पत्ति थी जिसके पडौस में ओरण भूमि रही होगी इसलिए यह भी रेकॉर्ड में ओरण दर्ज हो गई जो मानवीय भूल है जबकि हकीकत में पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति ही थी जब जागीर कमीशनर राज. जयपुर के न्यायालय में यह प्रकरण चला उस सम्पूर्ण कार्यवाही राजकीय सरकार भूमिशर्मा की तरफ उपस्थित रहे है। उन्होंने कोई उत्तरदायी नहीं की तथा निष्पत्ति के बाद अपील भी नहीं की ऐसी स्थिति में अब केवल रेकॉर्ड में गलत रूप से ओरण दर्ज होने से 60 साल के पुराने कब्जे को बदखल कर जूरमाना कर बनाना आ आदेश दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाय योग्य है। सेटलमेन्ट आर्बिटरिटी ने गांव के ओरण के रकबे में वृद्धि का मुकामल वृद्धि की है जिससे भी साबित है कि आवादी भूमि को ओरण में गैर कानूनी तरीके से सम्मिलित की गई है। पूर्व के खमरा नम्बर 622 व वर्तमान खमरा नम्बर 791, ग्राम बंडगांव की मुख्य आवादी में स्थित है मौके पर अरण नया है इस आधार पर भी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। यह अर्जत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। इसलिए उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील पर नियमानुसार कोर्ट फीस पेश है हमने इस निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय में हमने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहसीलदार रानीवाडा का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर भविष्य में अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट का प्रकरण नहीं बनाने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिलाया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलान्त द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि पत्रावली हकबत बंडगांव द्वारा गैर सायल बाबूलाल के विरुद्ध मौज बंडगांव के खमरा नम्बर 791 रकबा 71.49 वर्ग मीटर किस्म गैर मुमकिन अरण पर अतिक्षण किये जाने की रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करवाई जिसके मुकदमा नंबर 13/2012 है। इस प्रकरण में दिनांक 29.03.2012 को निर्णय पत्रित कर उक्त आराजी पर से गैर सायल को बदखल करने का उदेश पूर्व बतौर जूरमाना 50/-रूपये से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध गैर सायल

द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील पेश की गई। अपील संख्या 48/2012 बाबूलाल बनाम सरकार में दिनांक 18.07.2012 का अपीलांत का अपील अस्वीकार हुई। आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर (राजस्थान) के न्यायालय में अपील पेश करने पर अपील संख्या 29/2012 बाबूलाल बनाम सरकार में दिनांक 10.12.2014 को अपील खारिज हुई। इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निगरानी/एल.आर/1444/2015/जालोर बाबूलाल बनाम सरकार राजस्थान मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर करवायी गई। निगरानी निर्णय दिनांक 11.08.2018 में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार गनीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गनीवाडा को इस निर्देश के साथ प्राप्त प्रेषित किया गया कि बहस कथनो एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

उपरोक्तानुसार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमण्ड करने पर पुनः सुनवाई करने हेतु तहसीलदार गनीवाडा द्वारा दिनांक 08.07.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी बाबूलाल पुत्र ताराराम जाति पुरोहित साकिन जेतपुरा द्वारा अंश 91 में गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाया है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से चतौर जुर्माना लगान दर 1/-रूपये का पचास गुणा 50/-अक्षर पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो दसूल हो। निगरानी अपील प्रकरण संख्या 03/2019 सरकार बनाम बाबूलाल में तहसीलदार गनीवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध निम्नांकित तथ्यों पर आधार पर प्रस्तुत की गई है। कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बडगांव के एररा क्षेत्र 791 एकड़ 0.71 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस संबंध में वकील अपीलांत द्वारा कथन किया गया है कि बडगांव जागीर का गांव रहा तथा जागीर Resumption Act 1952 में लागू हुआ है। बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति का सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी जमीन है। उप जिनाधीन (जागीर) जालोर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.11.1962 में क्रम संख्या 4 पर चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी जमीन है को प्रदायी में होना बताया है। इस जांच रिपोर्ट अनुसार जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि मानी है। इस निर्णय दिनांक 19.01.1963 के विरुद्ध आज तक सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि आबादी होने से प्रिपर जेस्टर्ड बेचने परनावेज का अपीलांत को बेची गई है। भूमि आबादी में स्थित होने से ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा पट्टा जारी किया गया है। तथा पानी विजली के कनेक्शन भी नियत रूप से है। अपीलार्थी विधिसम्मत वादग्रस्त आराजी पर काब्जि है। तहसीलदार गनीवाडा द्वारा जारी किया गया धारा 91 का नोटिस भी Bad in law है क्योंकि धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर विन किये संगत

प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता पत्ता आ रहा है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जाएगा जबकि डम प्रकरण में अपीलान्त अतिक्रमणकारी नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2006(1)पृष्ठ संख्या 272 में वर्णित निर्णय दिनांक 02.12.2005 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया की इस प्रकरण में धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट लागू नहीं होता है। क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व NOC जारी की है। तथा भू-स्वच्छ रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदसुदा है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 इन्द्राजो के लिये उपधारणा - अधिकार अभिलेख में हिवे गप समस्त इन्द्राजो के सही होने की उप-धारणा की जायेगी जब तक वो विपरीत सिद्ध न कर दिया जाये। इसी के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि दस्तावेजों के आधार पर आबादी भूमि सिद्ध है। ओरण नहीं है इस अपीलान्त साबित करने में सफल रहा है। क्योंकि प्रकरण संख्या 03/2019 सरकार बनाम बाबुलाल की आदेशिका दिनांक 26.03.2019 अनुसार तहसीलदार ने माना है कि यह जमीन बली है जो जागीर कमिश्नर के निर्णय में वर्णित है। जागीर कमिश्नर के निर्णय को पालना में भूमिधारी तहसीलदार को राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिये था जो नहीं किया जाने से वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। जबकि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि है। अतः अपीलान्त को अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोंडेंट भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहस के दौरान तर्क किया गया कि अपीलान्त को नायब तहसीलदार कोर्ट में बदेखली अधिनियम 1975 के तहत नोटिस जारी हुआ क्योंकि अपीलान्त द्वारा गैर मुमकिन ओरण वेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि वक्त खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने बं पिछाड़ी खुर्चि जमान लिया हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुआ है। जिनकी पुत्र से श्री किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन अथवा नियमन भी नहीं किया जा सकता है। राजस्टर्ड बेचन दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी भूमि नहीं माना जा सकता है। तथा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तिया ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने से दिनांक 11.09.2019 को बदेखली व जुर्माना के आदेश दिये गये है। अतः आधारहीन अपील को खरिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस के विन्दुओं पर ध्यान भी किया गया जिसके अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा व खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर संवत् 2068 में श्री बाबुलाल पुत्र ताराराम जाति पुरोहित निवासी जंतपुरा द्वारा नाजारा कब्जा करने पर पटवारी हल्का बडगांव द्वारा दिनांक 20.03.2012 को फिर्टी रिकार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा को प्रस्तुत की गई। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को मुकदमा नंबर 13/2012 सरकार बनाम बाबुलाल दर्ज कर देर सायल बाबुलाल को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तयब किया गया। दिनांक 29.03.2012 को गैर सायल द्वारा जवाब पेश करने पर बाद सुनवाई के दिनांक 29.03.2012 को नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय पारित कर गैर सायल को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से दंडित करने

का आदेश व बतौर जुर्माना 50/-रूपये से वंडित किया गया। निर्णय दिनांक 29.03.2012 के विरुद्ध जिला कलेक्टर जालौर के न्यायालय में अपील संख्या 48/2012 बाबुलाल बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 18.07.2012 को अपीलांट की अपील अस्वीकार हुई। निर्णय दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालौर के न्यायालय में अपील संख्या 29/2012 बाबुलाल बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 10.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज हुई तथा अपीलाधीन निर्णय बरतान रखा गया। निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी/एल.आर./1444/2015/जालौर बाबुलाल बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि निगरानी अधीन रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प जालौर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जालौर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि वह म कथनों एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षा को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के अन्तर्गत में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करे। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनःसुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी बाबुलाल पुत्र ताराराम जाति पुरोहित साकिन जेतपुरा द्वारा अवैध रूप से गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को भाग 9 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मोक से वेदखल करने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगाने पर 25 रूपये का पचास गुणा 50/-अक्षर पचास रूपये मात्र किया जाता है जो बरतान हो। विचाराधीन अपील न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के अक्रमा संख्या 03/2019 सरकार बनाम बाबुलाल में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की ओर से जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.1963 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये कथन किया है कि बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 7.11.1959 का अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आवादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। को आवादी में होने बताया है। निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि माना है। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि होने से जागीर बेचान दस्तावेज के अपीलांट द्वारा खरीदना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा जारी करना एवं ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.भी जारी करना भी अपीलांट द्वारा कथन किया गया है। जबकि रेस्पोंडेन्ट द्वारा कथन किया गया है कि जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बावत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है वह भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 में सूचित हुये है। जिसकी पूर्व से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अधिनियम में दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रत्येक

भूमि होने से आवंटन एवं नियमन काबिल नहीं है। अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त भूमि को जागीरदार की निजी सम्पत्ति एवं भूमि आबादी की होने के तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेन्ट से ही राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण बदस्तूर दर्ज चली आ रही है जो रिकार्ड में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से साबित हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन ओरण स्वीकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। हालांकि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुली जमीन है। यह अवश्य वणन किया हुआ है लेकिन खसरा नंबर 791 किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि ही चक्की का मकान वाला भू भाग रहा हो और उसे आबादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलान्त वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रिकार्ड में दुरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाड़ा में खसरा नंबर 791 की भूमि प्रथम सेटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन ओरण किस्म की राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जब तक किस्म गैर मुमकिन ओरण में किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज नहीं हो जाती है। तब तक अपीलान्त किसी भी प्रकार का अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा मुकदमा संख्या 03/2019 सरकार बनाम बबूलाल में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं। जोर से अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसला शुमार हांकर नम्बर से क्रम हो।

59-

(महेंद्र सोनी)

जिला कलेक्टर, जालौर

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को लिखवाया जाकर खुला न्यायालय में सुनाया गया।

59-

(महेंद्र सोनी)

जिला कलेक्टर, जालौर